न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 32/2019

1 मृतक किशनाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी शेखसर तहसील व जिला झुन्झुनूं। (नोट–प्रारम्भिक डिकी की अपील के दौराने मृत्यु हो गई)
1/1 गुगन सिंह आयु 40 साल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी शेखसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/2 सुरेश कुमार उम्र 45 साल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी शेखसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/3 श्रीमती रूकमणी देवी आयु 70 साल स्त्री किशनाराम जाति जाट निवासी शेखसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/4 मु. सुभीता उम्र 42 साल पुत्री किशनाराम स्त्री रणवीर जाति जाट निवासी नवलड़ी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मृतका मु. शान्ति स्त्री स्व. गोरूराम जाति जाट निवासी शेखसर तहसील व जिला झुन्झुनूं। (दौराने अपील दिनांक 21.12.2012 को मृत्यु)
2 मनेन्द्र आयु 11 साल तथाकथित दतक पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी शेखसर तहसील व जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये श्रीमती शान्ति स्त्री स्व. गोरूराम जाति जाट निवासी शेखसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3 प्यारेलाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी शेखसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4 गिरधारी पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी शेखसर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5 श्रीचन्द पुत्र स्व. किशनलाल जाति जाट निवासी शेखसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
6 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2019 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी गोरूराम वगै. बनाम
किशनाराम वगै. मु.नं. 14/2006 मुकदमा नम्बर न्यू 140/2018
दावा बाबत घोषणार्थ एवं बंटवारा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार मीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 140/2018 (पुराना नम्बर 14/2006) में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक वाद घोषणार्थ एवं बंटवारा बाबत भूमि खसरा नम्बर 96, 95/3, 140, 141, 152, 155 जिसके हाल खसरा नम्बर 111, 110/536, 429, 426, 427, 428, 446, 450 वाके ग्राम शेखसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं अपील नम्बर 102/2008 पेश की जिसको इस न्यायालय ने दिनांक 07.09.2018 को खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध अपीलान्टस ने तुरन्त द्वितीय अपील

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश कर दी। उक्त द्वितीय अपील में माननीय मण्डल ने विचारण न्यायालय की पत्रावली मंगवाने के लिये आदेश जारी कर दिये उक्त मिसल तलबी के आदेश को अपीलान्ट सुरेश कुमार ने माह अक्टूबर 2018 में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर दिये विचारण न्यायालय ने मूल पत्रावली को राजस्व मण्डल अजमेर में बिना भेजे। गलत रूप से पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर अपीलान्ट को बिना सुने गलत विधिक प्रकिया अपनाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के पीठ पीछे विभाजन प्रस्ताव मंगवाये है। विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में तैयार कर पेश किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पटवार हल्का शेखसर ने तैयार कर पेश किये है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का ने बिना क्षेत्राधिकार के बनाये है विभाजन प्रस्ताव बनाने के लिये तहसीलदार अधिकृत था। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए तहसीलदार मौके पर नहीं गया। विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के मिसल तलबी के आदेश की अवहेलना की है। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित 28.02.2019 खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक वाद घोषणार्थ एवं बंटवारा बाबत भूमि खसरा नम्बर 96, 95/3, 140, 141, 152, 155 जिसके हाल खसरा नम्बर 111, 110/536, 429, 426, 427, 428, 446, 450 वाके ग्राम शेखसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18. 02.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 102/2008 पेश की गई थी। जो निर्णय दिनांक 07.09.2018 से खारिज की गई है। इसके उपरांत पत्रावली

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
...रीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय में प्राप्त होने के उपरांत अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में उपस्थिति होकर चाराजोही नहीं की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 07.09.2018 के उपरांत अपीलान्ट अथवा उसके अधिवक्ता के उपस्थित होने का अंकन नहीं है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.2018 के विरूद्ध माननीय मण्डल में अपील प्रस्तुत करने एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली माननीय मण्डल द्वारा तलब किये जाने के पत्र की प्रति अपीलान्ट द्वारा न तो विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गई है न ही प्रस्तुत अपील में प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 13.11.2018 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। इन विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। तहसीलदार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट ने उपस्थित होकर चाराजोही नहीं की है। विचारण न्यायालय ने नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव एवं अंतिम डिक्री के संदर्भ में गुणावगुण पर कोई कथन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक वाद घोषणार्थ एवं बंटवारा बाबत भूमि खसरा नम्बर 96, 95/3, 140, 141, 152, 155 जिसके हाल खसरा नम्बर 111, 110/536, 429, 426, 427, 428, 446, 450 वाके ग्राम शेखसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा इस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में अपील संख्या 102/2008 पेश की गई थी। जो निर्णय दिनांक 07.09.2018 से खारिज की गई है।

इसके उपरांत पत्रावली विचारण न्यायालय में प्राप्त होने के उपरांत अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में उपस्थिति होकर चाराजोही नहीं की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 07.09.2018 के उपरांत अपीलान्ट अथवा उसके अधिवक्ता के उपस्थित होने का अंकन नहीं है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.2018 के विरूद्ध माननीय मण्डल में अपील प्रस्तुत करने एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली माननीय मण्डल द्वारा तलब किये जाने के पत्र की प्रति अपीलान्ट द्वारा न तो विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गई है न ही प्रस्तुत अपील में प्रस्तुत की गई है।

विचारण न्यायालय में पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 13.11.2018 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। इन विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। तहसीलदार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट ने उपस्थित होकर चाराजोही नहीं की है। विचारण न्यायालय ने नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई कर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी की है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव एवं अंतिम डिक्री के संदर्भ में गुणावगुण पर कोई कथन नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय के निर्णय मे हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर